

जनसत्ता

25 मार्च, 2023

17

**SICOM
LIMITED**

एसआईसीओएम लिमिटेड

पंखीकृत कार्यालय: शांकेश्वर कॉर्पोरेशन पार्क, विलासा नं. 4,
चकला, अंडर (पूर्व) -400093, फोन नं.: -(022) 08672 700

एमवीएल लिमिटेड की संपत्ति की विक्री के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)
एसआईसीओएम लिमिटेड, एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान हारा स्विस बुनोती पद्धति के तहत सरकारी
अधिनियम के प्रावधान के संर्दह में सेक्टर 15 (पप), 32वें माइल स्टैन के पास, ग्राम सिलोखरा, तहसील
और जिला: गुडगाड़, हरियाणा में एमवीएल आईपार्ट की पहली मैजिल (2 विंग्स) पर स्थित 23987 802
वर्ग फुट की सुपर निर्मित क्षेत्र वाली वाणिज्यिक संपत्ति को "जैसा है, जहां है, जैसा है, जो कुछ भी है
और विना रिकार्ड के आधार पर" और विना किसी वारंटी और पहचान के आधार पर "खरीद के लिए
इच्छुक पार्टियों से प्रस्ताव मूल्य के 1: वाली ईमरझी के साथ 20 अप्रैल, 2023 तक रुचि की अभिव्यक्ति
(ईओआई) आमंत्रित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण और विक्री के नियम एवं शर्तें हमारी वेबसाइट www.sicomindia.com पर<sup>उपलब्ध हैं। उच्चतम प्रतीत वाली पार्टी को बाद में आयोजित की जाने वाली संपत्तियों की नीलामी में
स्विस बुनोती के तहत इनकार करने का पहला अधिकार प्राप्त होगा।</sup>

स्थान- मुंबई

दिनांक- 25 मार्च, 2023

(प्राप्तिकृत अधिकारी)

एसआईसीओएम लिमिटेड

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)

तथा प्राप्तिकृत हित प्रबन्ध
साथ परिवर्तन द्वारा
(एसआईसीओएम लिमिटेड
घरा 13(2) के अंतर्गत
एसआईसीओएम को
दर्शाव गई तथा जाहाज
तथा ज्ञान राशि के प्राप्ति

अधिकारीका नाम

उपलब्धकर्ता

श्रीमती संतोष कुमारी,

सुधी शूष्म वाद्य की दी.

पार्सेक्ट कंसर लैंड एंड न

देवी, श्री रामनीनन या

देवी (प्राप्तिकृत न

गति उक्त ज्ञानाधारक उप

श्रवणपात्रों की जांचमें

परिसरमात्रियों के विस्तृ क

रोड, जग्मी गो रूप के

दायर, घाटा नं. 98, उद्यो

स्थान : दिल्ली तिथि :

SBI

भारतीय स्टेट बैंक

आरएसीपीसी

सीपी-123, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-

कब्जा नोटिस (नियम 6(1) के अन्तर्गत चल सम्पत्ति)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी, गोमती नगर, लखनऊ हारा वित्तीय अस्तित्व
पुनः संरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 (अधिनियम नं. 54) के अन्तर्गत प्राप्त अधि-
कृत उक्त अधिनियम की धारा-13(2) एवं 13(12) सहपठित नियम 8 एवं 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित खातों
अंकित तिथि को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अन्दर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने